भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 951

22.07.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

पाकिस्तानी जेलों में कैद भारतीय मछुआरे

951. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री सुब्रत पाठकः

श्री प्रतापराव जाधवः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि 536 भारतीय मछुआरे और तीन नागरिक कैदी अपनी जेल की सजा अवधि पूरी करने के बावजूद अभी भी पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारत में बंदियों और पकड़े गए मछुआरों की सूची के बदले में पाकिस्तान से असैन्य कैदियों को उनकी नौकाओं और सामानों के साथ रिहा करने और स्वदेश भेजने की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 2008 कंसुलर एक्सेस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों के असैन्य कैदियों का आदान-प्रदान अंतिम बार किस तिथि को किया गया था;

(घ) क्या हमारे मछुआरों का मार्गदर्शन करने और पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा हमारे मछुआरों को भारतीय जलक्षेत्र में पकड़ने से रोकने के लिए कोई चेतावनी प्रणाली या अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अनजाने में भारतीय जलक्षेत्र को पार करने तथा पड़ोसी देशों के जलक्षेत्र में घुसने वाले मछुआरों/नागरिकों की सुरक्षा के लिए तथा उनकी त्वरित रिहाई हेतु सरकार द्वारा उठाए गए विशिष्ट कदम क्या हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) 21 मई 2008 को हस्ताक्षरित भारत-पाकिस्तान 'कॉन्सुलर एक्सेस करार' के अनुसार, प्रत्येक देश के असैन्य कैदियों और मछुआरों, जो दूसरे देश की जेलों में बंद हैं, की सूचियों का आदान-प्रदान प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है। 1 जुलाई 2022 को आदान-प्रदान की गई सूचियों के अनुसार, पाकिस्तान ने ऐसे 633 मछुआरों और 49 असैन्य कैदियों की हिरासत को स्वीकार किया है जो भारतीय हैं या जिन्हें भारतीय माना गया है। इस संदर्भ में, सरकार ने पाकिस्तान से उन सभी भारतीय मछुआरों और असैन्य कैदियों की रिहाई और प्रत्यावर्तन में तेजी लाने के लिए कहा है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है और जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि कर ली गई है तथा पाकिस्तान को इस बारे में अवगत करा दिया गया है।

(ख) सरकार भारतीय मछुआरों के कल्याण, संरक्षा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों और मछली पकड़ने वाली उनकी नौकाओं को हिरासत में लेने से संबंधित मामले लगातार पाकिस्तान सरकार के साथ उठाए जाते हैं और यह सूचित किया जाता है कि इस मुद्दे पर विशुद्ध रूप से मानवीय और आजीविका के आधार पर विचार किया जाए। सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, 2014 से अब तक 2160 भारतीय मछुआरों और मछली पकड़ने वाली 57 भारतीय नौकाओं को पाकिस्तान से वापस लाया गया है।

(ग) इस वर्ष, 20 जून 2022 को हुए पिछले प्रत्यावर्तन सहित, 41 भारतीय कैदियों को पाकिस्तान की हिरासत से वापस लाया गया है। इसी अवधि के दौरान, भारत ने 24 पाकिस्तानी कैदियों को अपनी हिरासत से प्रत्यावर्तित कर दिया है, जिसमें 13 जुलाई 2022 को हुआ पिछला प्रत्यावर्तन भी शामिल है।

(घ) भारतीय तटरक्षक बल ने मछुआरा समुदाय के लिए आयोजित विभिन्न सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय मछुआरों को मार्गदर्शन देने हेतु कदम उठाए हैं ताकि वे निर्धारित 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा' (आईएमबीएल) को पार न करें। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज़ और विमान निर्धारित आईएमबीएल के निकट कड़ी निगरानी रखते हैं और मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं को भारतीय समुद्री सीमा की ओर ले जाते हैं ताकि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा उनकी हिरासत को रोका जा सके।

(ङ) पाकिस्तान द्वारा भारतीय मछुआरों और मछली पकड़ने वाली उनकी नौकाओं की हिरासत के मामलों का पता चलते ही, इस्लामाबाद स्थित भारतीय मिशन द्वारा पाकिस्तान सरकार से कोंसुली सहायता प्राप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाते हैं। मछुआरों की नौकाओं के साथ-साथ उनकी शीघ्र रिहाई और प्रत्यावर्तन के लिए कानूनी सहायता सहित हर संभव सहायता प्रदान की जाती है।

*****